

इसे वेबसाइट www.govtprintmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 227]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 16 मई 2013—वैशाख 26, शक 1935

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
सूचना

भोपाल, दिनांक 16 मई 2013

क्र. एफ-3-141-2012-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक एक, सन् 2012) की धारा 23 “क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक-एफ-3-141-2012-बत्तीस, दिनांक 21 मई 2012 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित खण्डवा विकास योजना 2011 में उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण व्यौरे निम्नानुसार है:—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा	क्षेत्रफल	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	खण्डवा खास	543, 544/1, 548/1	3.17	औद्योगिक एवं आवासीय	यातायात (बस स्टेण्ड)
		योग . .	3.17		

2. उपरोक्त उपांतरण अंगीकृत खण्डवा विकास योजना 2011 का भाग मात्य होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष सक्सेना, उपसचिव।